

रोगी सुरक्षा अधिकार घोषणापत्र

स्रोत: डब्ल्यू.एच.ओ.

हाल ही में वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मरीजों की सुरक्षा पर आयोजित वैश्विक मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन में पहला रोगी सुरक्षा अधिकार घोषणापत्र का वमिचन किया ।

- सुरक्षा के संदर्भ में मरीजों के अधिकारों को रेखांकित करने वाला यह पहला घोषणापत्र है ।
- इससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कानून, नीतियाँ और दिशा-निर्देश तैयार करने में सरकारों व अस्पतालों दोनों को मदद मिलेगी ।

रोगी सुरक्षा अधिकार घोषणापत्र की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- इस घोषणापत्र में स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में रोगियों के मूल अधिकारों को रेखांकित किया गया है और इसका उद्देश्य सरकारों तथा अन्य हतिधारकों की सहायता करना एवं रोगियों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना तथा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के उनके अधिकार का संरक्षण सुनिश्चित करना है ।
- इस घोषणापत्र में जोखिमों को कम करने और अनजाने में होने वाले नुकसान को रोकने के लिये 10 रोगी सुरक्षा अधिकारों को शामिल किया गया है, इसमें नमिंनलिखित शामिल हैं
 - समय पर प्रभावी और उचित देखभाल
 - सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ
 - योग्य और सक्षम स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
 - सुरक्षित चिकित्सा उत्पाद और उनका सुरक्षित एवं तर्कसंगत उपयोग
 - सुरक्षित एवं संरक्षित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ
 - गरमा, सम्मान, गैर-भेदभाव, गोपनीयता
 - सूचना, शिक्षा और निर्णय लेने में समर्थन, मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुँच
 - सुनिवाई और नषिपक्ष समाधान की सुविधा
 - रोगी और परिवार की सहभागिता

रोगी सुरक्षा क्या है?

- परिचय:
 - रोगी सुरक्षा में स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान के दौरान अप्रत्याशित क्षतिको रोकने के प्रयास शामिल होते हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू है ।
- रोगी को क्षति पहुँचाने वाले कारक:
 - क्षतिके ज्ञात स्रोत: दवा संबंधी त्रुटियाँ, सर्जिकल त्रुटियाँ, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमण, सेप्सिस, नैदानिक त्रुटियाँ और रोगी, रोगी को क्षति पहुँचाने के लगातार कारण हैं ।
 - वभिनिं कारक: प्रणाली और संगठनात्मक वफिलताओं, तकनीकी सीमाओं, मानवीय कारकों और रोगी से संबंधित परिस्थितियों से रोगी को क्षति पहुँचती है, जो रोगी सुरक्षा की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है ।

रोगी सुरक्षा चार्टर की क्या आवश्यकता है?

- रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना:
 - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 10 में से 1 रोगी को स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं के दौरान क्षतिको सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप असुरक्षित देखभाल के कारण वार्षिक तौर पर 3 मिलियन से अधिक मौतें होती हैं ।
 - OECD के अनुसार, रोगी सुरक्षा में निवेश करने से स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, रोगी क्षति से संबंधित लागत कम हो जाती है, सस्टिम दक्षता में सुधार होता है और समुदायों को आश्वस्त करने एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में उनका विश्वास बहाल

करने में सहायता मिलती है।

■ **परहार्य क्षतों को रोकना:**

- रोगियों को होने वाली ज़्यादातर क्षतियों से उन्हें बचाया जा सकता है, जो क्षतों को कम करने में रोगियों, परिवारों और देखभाल करने वालों की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
- रोगियों को क्षतों अक्सर अलग-अलग घटनाओं से नहीं, बल्कि खराब स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के कारण होती है।

■ **वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना 2021-2030 का कार्यान्वयन:**

- **WHO** के सदस्य देशों के वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना 2021-2030 को लागू करने में कई कमियों का पता चला, जिसमें रोगी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया और कार्यान्वयन में आय-आधारित असमानताओं को संबोधित किया गया।
- सर्वेक्षण के अंतरिम परिणामों से पता चला कि केवल 13% प्रतिक्रिया देने वाले देशों (Responding Countries) में उनके अधिकांश अस्पतालों में गवर्नंग बोर्ड या समकक्ष तंत्र में एक रोगी प्रतिनिधि (Patient Representative) है।

■ **SDG का लक्ष्य:**

- रोगी सुरक्षा वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जो [सतत विकास लक्ष्य \(SDG\)-3](#): "उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली" की प्राप्ति के लिये आवश्यक है।



संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ- UNSAs

UNSAs संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य करने वाले 15 स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं

भाग III
ILO,
WHO
and
ITU

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)



एकमात्र त्रिपक्षीय संगठन (सरकार, ट्रेड यूनियन, नियोक्ता)
तथा पहला संबद्ध UNSA

- **स्थापना-** वर्ष 1919 (वर्साय की संधि)
- **मुख्यालय-** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **कार्य-**
 - » श्रम मानकों का निर्धारण
 - » सभी के लिये गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का विकास
- **सदस्य राष्ट्र-** 187 (भारत एक संस्थापक सदस्य + ILO के शासी निकाय का स्थायी सदस्य)

■ अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन-

- » यह प्रतिवर्ष जेनेवा में आयोजित किया जाता है।
- » इसे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है।

■ कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों पर ILO का घोषणापत्र 1998

■ (सिद्धांत) -

- » संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार
- » बलात् श्रम या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन
- » बाल श्रम का उन्मूलन
- » रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन



विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

WHO 7 अप्रैल, 1948 को कार्यात्मक हुआ
(जिसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है)

- **स्थापना-** वर्ष 1948
- **मुख्यालय-** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **कार्य-**
 - » वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना
 - » स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी कार्यसूची को आकार देना
 - » स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी एवं आकलन
- **सदस्य राष्ट्र-** 194 भारत सहित)

दक्षिण पूर्व एशिया के लिये WHO का क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली में स्थित है

- **विश्व स्वास्थ्य सभा-** WHO का निर्णयन निकाय, सभा का वार्षिक आयोजन जिनेवा में
- **प्रमुख पहलें -**
 - » संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2021-2030)
 - » पोषण पर कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक (2016-2025)
 - » वैश्विक रोगाणुग्रेही प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (GLASS)- AMR
 - » डब्ल्यूएचओ 1+1 पहल (2019) (टीबी)

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)



- **स्थापना-** वर्ष 1865
- **मुख्यालय-** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **कार्य-**
 - » संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुगम बनाना
 - » वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन

- **सदस्य राष्ट्र-** 193 (भारत वर्ष 1952 से एक नियमित सदस्य)
- **महत्वपूर्ण प्रकाशन-**
 - » ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी इंडेक्स (GCI)



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????:-

प्रश्न. कोवडि-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2020)

